कार्य का नाम :– जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी–ह्यूणा –पोखनी–लांजी–द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्रांक **8B/UCP/06/122/2018/FC/450** दि॰ **25.06.2020 द्वारा बिन्दु 1 पर चाही गयी सूचना का विवरण**
(Proposal No- FP/UK/ROAD/19747/2016)

जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पर्वतीय एवं सुदूरवर्ती ग्रामों ह्यूंणा, लांजी, पोखरी, द्वींग को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 204/12 में राज्य योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 5377(1)/।।।(2)/ 2012–13/ मु0मं0घो022012 दि0 14.01.2013 द्वारा 10.00 किमी0 लम्बाई हेतु रु0 126.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति विकासखण्ड जोशीमठ में पर्वतीय एवं दूरस्थ ग्राम ह्यूंणा, लांजी, पोखनी, द्वींग ग्राम हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है। **डिजीटल मैप के बिन्दु सं0 46 तक मोटर मार्ग सीमित रखने के कम में अवगत करना है कि अन्तिम ग्राम लांजी अत्यधिक सुदूरवर्ती पर्वतीय ग्राम है, वर्तमान में ग्राम लांजी के ग्रामीण दैनिक दिनचर्या हेतु लगभग 6 किमी0 पैदल चलते हैं मोटर मार्ग न होने के कारण ग्राम लांजी के ग्रामीणों की नगदी फसलें जैसे सेब, आलू, अखरोट, राजमा, आम, अमरुद एवं प्याज आदि का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जिस कारण ग्रामीणों को स्वरोजगार का उचित अवसर भी प्राप्त नहीं होता है। ग्राम लांजी को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु ग्रामीणों द्वारा बार–बार धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल करने के दृष्टिगत (समाचार पत्र की कतरने संलग्न हैं) मा0मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त मार्ग निर्माण की घोषणा की गयी एवं प्रत्येक माह समीक्षा बैठक में मार्ग की प्रगति सूचना चाही जाती है। उक्त मोटर मार्ग का अन्तिम बिन्दु डिजीटल मैप के अनुसार 52 है, जो कि ग्राम लांजी में स्थित है। यदि ग्राम लांजी को मोटर मार्ग से संयोजित नहीं किया जाता है, तो मा0मुख्यमंत्री की घोषणा का पालन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही मार्ग निर्माण का औचित्य भी नहीं रह जायेगा। क्योंकि ग्राम लांजी को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु वर्तमान में कोई अन्य मोटर मार्ग स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है।** वनभूमि **प्रस्ताव गठन से पूर्व मार्ग के संयुक्त निरीक्षण में** दिनांक 02.06.2015 को वन विभाग की ओर से वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से उप राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से तकनीकी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु ग्राम लांजी अन्तिम बिन्दु (52) है,

सत्यापित किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम लांजी को मोटर मार्ग से संयोजित करने के उद्देश्य से ही इस प्रस्ताव का गठन किया गया है। उक्त संरेखण में ग्रामवासियों की पूर्ण सहमति प्राप्त है। ग्रामीणों की सहमति के आधार पर लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपयुक्त संरेखण को प्रस्तावित किया जाता है, जिसे भूगर्भवेत्ता द्वारा उपयुक्त बताये जाने के उपरांत ही अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संरेखण को अनुमोदित किया जाता है। मोटर मार्ग का संरेखण इस प्रकार तय किया जाता है कि वन सम्पदा एवं अन्य सम्पत्तियों को कम से कम क्षति पहुंचे। प्रस्तावित मोटर मार्ग में उपयुक्त संरेखण को ही प्रयुक्त किया गया है, जिससे कि ग्राम लांजी, पोखनी की जनता प्रत्यक्ष रुप से लाभान्वित हो रही है। जिसके विरुद्ध मात्र 3.97 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। इस मोटर मार्ग निर्माण से निम्न ग्राम प्रत्यक्ष रुप से लाभान्वित होंगें :-

कम सं0	ग्राम का नाम	कोड सं0	आबादी
1.	ह्यूणा	0072800	246
2.	लांजी	0072900	167
3	पोखनी	0073100	143

अतः आपसे अनुरोध है कि पर्वतीय/सीमान्त क्षेत्र की भौगोलिक विषमताओं एवं जनहित में ग्राम लांजी को मोटर मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य के लिये डिजीटल मैप के बिन्दु सं0 52 तक ही 3.97 हे0 में मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

20-7-2020

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

R.O. Chamoli